INVEST UP

POWERING NEW INDIA

Address :

4th Floor Block A PICUP Bhawan,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010
Phone No.: +91-522-2720236, 2720238
Email: info[at]investup[dot]org[dot]in
Website - https://invest.up.gov.in/

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

10-12 FEBRUARY, 2023

New India's Growth Engine

उ.प्र. स्टार्टअप नीति 2020 (संशोधन 2022)

प्रमुख बिन्दु

स्टार्टअप नीति 2020 अपनी अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए वैध है, तथा यह पिछली नीतियों के स्टार्टअप खण्ड से संबंधित समस्त प्राविधानों को प्रतिस्थापित करती है, अर्थात उत्तर प्रदेश आईटी एवं स्टार्टअप नीति 2016 तथा उत्तर प्रदेश आईटी एवं स्टार्टअप नीति 2017-2022। इसके अंतर्गत स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष के 03 राज्यों में सम्मिलित होने, राज्य के प्रत्येक जनपद में न्यूनतम एक इनक्यूबेटर स्थापित करने/सक्रिय करने तथा राज्य में न्यूनतम 10,000 स्टार्टअप्स के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2020 में परिभाषित लक्ष्य इस प्रकार हैं-

- स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित 'राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग' में शीर्ष के 03 राज्यों में स्थान प्राप्त करना
- राज्य के प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक इनक्यूबेटर सहित पूरे राज्य में 100 इनक्यूबेटर स्थापित करना
- स्टार्टअप के लिए न्यूनतम 10 लाख वर्ग फुट इनक्यूबेशन / त्वरण स्थान विकसित करना
- राज्य में न्यूनतम 10,000 स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाना
- 8 अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना
- लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर स्थापित करना

प्रोत्साहन

- अवधारणा स्तर पर स्टार्टअप को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति स्टार्टअप ₹17,500 प्रति माह की दर से प्रति इनक्यूबेटर प्रति वर्ष 25 स्टार्टअप तक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के व्यापक स्तंभ

स्रोत: राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इंडिया

- स्टार्टअप्स को उनके न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद तैयार करने के लिए ₹5 लाख तक का प्रोटोटाइप अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- स्टार्टअप्स को उनकी अवधारणाओं को परिपक्व करने के लिए प्रारंभिक चरण के वित्तपोषण के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए सीड कैपिटल/मार्केटिंग सहायता दी जाएगी। बाजार में न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) लॉन्च करने के लिए प्रति इनक्यूबेटर प्रति वर्ष 25 स्टार्टअप तक ₹7.5 लाख प्रति स्टार्टअप विपणन सहायता के रूप में बीज पूंजी (सीड कैपिटल) दी जाती है।
- सफल पेटेंट दाखिल करने की लागत की प्रतिपूर्ति: भारतीय तथा विदेशी पेटेंट के लिए इनक्यूबेटेड स्टार्टअप को प्रतिपूर्ति की जाएगी- भारतीय पेटेंट के लिए ₹2 लाख तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए ₹10 लाख।
- कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को प्रतिपूर्ति: राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए ₹50,000 तक तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए ₹1 लाख तक।
- 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी के साथ महिलाओं/ट्रांसजेंडर/दिव्यांगजन सह-संस्थापकों वाले स्टार्टअप जीविका भत्ता (सस्टेनेंस अलाउंस) तथा बीज पूंजी (सीड कैपिटल) पर अतिरिक्त 50 प्रतिशत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- पूर्वांचल/बुंदेलखंड क्षेत्रों में पंजीकृत कार्यालय/संचालन करने वाले स्टार्टअप या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के सह-संस्थापकों को भी अतिरिक्त 50 प्रतिशत दिया जाएगा।
- इनक्यूबेटरों को पूर्वांचल/बुंदेलखंड क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार पर अधिकतम ₹1 करोड़ या ₹1.25 करोड़ तक पूंजीगत अनुदान के साथ सहायता प्रदान की जाती है।
- इनक्यूबेटरों को 5 वर्ष के लिए या सेल्फ सस्टेनेबल होने तक (जो भी पहले हो) परिचालन व्यय को कवर करने के लिए प्रति वर्ष ₹30 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए न्यूनतम 12 सप्ताह का एक्सीलेरेशन कार्यक्रम चलाने के लिए सक्षम संस्थानों को प्रति स्टार्टअप ₹1 लाख तक तथा अधिकतम ₹10 लाख का अनुदान दिया जाएगा। नीति के अंतर्गत एक वर्ष में अधिकतम 100 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

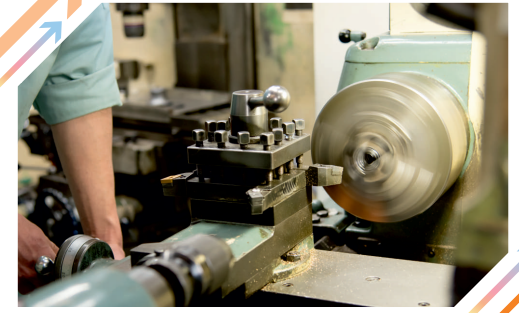

नोडल एजेंसी: यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग